मद संख्या 4 (1) (ख)-(vii)

किसी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो इसकी नीति तैयार करने अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यमान है।

रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया और यह एक वाणिज्यिक संगठन है। आरईसी द्वारा अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं इसके आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं और इसलिए, इसकी आंतरिक नीतियों के निर्माण से पहले जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इन सभी आंतरिक नीतियों को सभी लागू संविधियों, नियमों और विनियमन आदि के प्रावधानों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है।

हालांकि, आरईसी के पास विभिन्न संसदीय समितियों के साथ अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) स्थापित करने की सुविधा है। इसके अलावा, जनता / ऋणकर्ताओं के सदस्य जिन्हें कंपनी के साथ अपने व्यापारिक लेनदेन में किसी भी तरह की शिकायत / समस्या होती है, वे ई-मेल के माध्यम से या आरईसी की वेबसाइट में होस्ट किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारियों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आरईसी की वेबसाइट www.recindia.com पर प्रश्नों का समाधान करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है।